मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– सुन्दर लाल खारोल, RJS,
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

एम.ए.सी.प्र.सं. :– **21/2022 (98/2017)**

1– श्रीमती सीतादेवी पत्नी तुलसीराम, निवासी वार्ड संख्या–3, नावां, तहसील नावां, जिलाः डीडवाना–कुचामन।

2– सुश्री आरती पुत्री तुलसीराम, निवासी वार्ड संख्या–3, नावां, तहसील नावां, जिलाः डीडवाना–कुचामन।

(याचिकाकर्ता संख्या–2 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरिक्षका माता याचिकाकर्ता संख्या–1 श्रीमती सीता देवी)

–––याचिकाकर्तागण

बनाम

1– मुरारीलाल पुत्र बलराज, निवासी करणी मार्बल के पीछे, नोखा रोड़, गंगा शहर, बीकानेर, जिला बीकानेर।

(वाहन ट्रक सं.0 आर.जे.–07–जी.ए.–8615 का का रजिस्टर्ड स्वामी)

2– यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी लि0, कार्यालय पंचसती सर्किल, सार्दुलगंज, बीकानेर।

(वाहन ट्रक सं.0 आर.जे.–07–जी.ए.–8615 की बीमा कंपनी)

–––विपक्षीगण

–: उपस्थिति :–

1. याचिकाकर्तागण की ओर से	–	अधिवक्ता, श्री बिरदाराम चौधरी ।
2. विपक्षी सं.–1 की ओर से	–	अधिवक्ता, श्री रामनिवास दिवाकर।
3. विपक्षी सं.–2 की ओर से	–	अधिवक्ता, श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़।

याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक	19–07–2017
विपक्षी संख्या–1 द्वारा जवाब प्रस्तुत करने की दिनांक	28–02–2020
विपक्षी संख्या–2 द्वारा जवाब प्रस्तुत करने की दिनांक	05–04–2019
विवाद्यक विरचित करने की दिनांक	28–02–2020
साक्ष्य प्रार्थी की दिनांक	06–09–2021

साक्ष्य अप्रार्थीगण की दिनांक	19–10–2022
बहस अंतिम की दिनांक	17–03–2026
अधिनिर्णय की दिनांक	17–03–2026

गवाहान सूची

(अ) याचिकाकर्तागण गवाहान्

क.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
ए.ड.–1	श्रीमती सीतादेवी	स्वयं याचिकाकर्ता
ए.ड.–2	दिलीपसिंह	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

(ब) विपक्षी संख्या–1 के गवाहान्

क.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
एन.ए.ड.–1	मुरारीलाल	विपक्षी संख्या–1
एन.ए.ड.–2	नरसाराम	विपक्षी संख्या–1 का गवाह

(स) विपक्षी संख्या–2 के गवाहान्

क.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
एन.ए.ड.–1	रोहिताश कुमार	बीमा कम्पनी का गवाह

(द) अधिकरण द्वारा तलब किया गया गवाह

क.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
—	—	-

दस्तावेजात की सूची

(अ) याचिकाकर्ता के दस्तावेजातः–

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श–1	आरोप–पत्र
2	प्रदर्श–2	तहरीरी रिपोर्ट
3	प्रदर्श–3	नक्शा मौका
4	प्रदर्श–4	फर्द जब्ती ट्रक संख्या आर.जे.07–जी.ए.–8615

5	प्रदर्श–5	पोस्टमार्टम रिपोर्ट रामपाल
6	प्रदर्श–6	फर्द सूरतहाल लाश व शिनाख्तगी
7	प्रदर्श–7	पंचनामा
8	प्रदर्श–8	फर्द सुपुर्दगी लाश
9	प्रदर्श–9	नोटिस 133 एम.वी.एक्ट
10	प्रदर्श–10	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
11	प्रदर्श–11	आर.सी.ट्रक संख्या आर.जे.07–जी.ए.–8615
12	प्रदर्श–12	बीमा प्रमाण–पत्रट्रक संख्या आर.जे.07–जी.ए.–8615
13	प्रदर्श–13	परमिट पार्ट–ए ट्रक संख्या आर.जे.07–जी.ए.–8615
14	प्रदर्श–14	गुडस परमिट पार्ट–बी ट्रक संख्या आर.जे.07–जी.ए.–8615

(ब) विपक्षी संख्या–1 की ओर से प्रदर्शित दस्तावेजात

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श एन.ए.–1	ड्राईविंग लाईसेंस नरसाराम
2.	प्रदर्श एन.ए.–2	कर सत्यापन प्रमाण–पत्र
3.	प्रदर्श एन.ए.–3	बिल्टी
4.	प्रदर्श एन.ए.–4	एच.एम.ट्रांसपोर्ट कम्पनी का प्रमाण–पत्र
5.	प्रदर्श एन.ए.–5	बीमा प्रमाण–पत्र
6.	प्रदर्श एन.ए.–6	तहरीरी रिपोर्ट
7.	प्रदर्श एन.ए.–7	रसीद
8	प्रदर्श एन.ए.–8	पुलिस अधीक्षक को प्रेषित रिमाईण्डर

(स) विपक्षी संख्या–2 की ओर से प्रदर्शित दस्तावेजात

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श एन.ए.–1	बीमा प्रमाण–पत्र
2.	प्रदर्श एन.ए.–2	सूचना पत्र
3.	प्रदर्श एन.ए.–3	रजिस्ट्री रसीद

(द) अधिकरण दस्तावेजात

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
–	–	

याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988

दिनांक :–17–03–2026

–:: अधिनिर्णय ::–

1. हस्तगत प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी परिपत्र 04/P.I./2024 Dated 15-04-2024 एवं पत्रांकः Gen./XV/55/2024/236 Dated 13.01.2026 की अनुपालना में न्यायालय हाजा के लक्षित प्रकरणो की सूची में शामिल है।
2. याचिकाकर्तागण श्रीमती सीता देवी व अन्य के द्वारा यह याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत की जाकर यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 16–6–2016 को समय रात्रि करीब 01:30 बजे मृतक तुलसीराम, गणेशराम के साथ ग्राम चौसला से नावां एम्बुलेंस में बैठकर आ रहा था। जब वे बालाजी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो सामने से ट्रक संख्या आरजे–07–जी.ए.–8615 का चालक किस्तूरराम अपने वाहन को तेजगति, लापरवाही व असावधानी से चलाकर लाया एवं अपनी साईड में चल रही एम्बुलेन्स के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की। उक्त दुर्घटना में आई चोटों के कारण तुलसीराम एवं एम्बुलेंस चालक गणेशराम की मृत्यु हो गई। प्रश्नगत दुर्घटना वाहन ट्रक संख्या आरजे–07–जी.ए.–8615 के चालक किस्तूरराम द्वारा वाहन को तेजगति, लापरवाही व असावधानीपूर्वक चलाने के कारण घटित हुई थी। उक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में पुलिस थाना नावां में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 146/2016, अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत संस्थित की गई। बाद अनुसंधान चालक किस्तूरराम की दुर्घटना

में मृत्यु होने के कारण अंतिम नतीजा ब–फौतगी अभियुक्त में सम्बंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. याचिकाकर्तागण ने याचिका में यह भी अभिकथित किया है कि याचिकाकर्तागण मृतक तुलसीराम के विधिक वारिसान एवं उत्तराधिकारी होकर विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। वक्त दुर्घटना मृतक तुलसीराम 40 वर्षीय शरीर से स्वस्थ व हष्ट–पुष्ट व्यक्ति था। वह नमक व खेती का कार्य करके प्रतिमाह 12,000/–रूपये की आय अर्जित करता था। उक्त दुर्घटना में तुलसीराम की मृत्यु के कारण याचिकाकर्तागण को भारी मानसिक संताप होकर वे अपने पति एवं पिता के लाड, प्यार, सेवा, सुश्रुषा से वंचित हो गये है। इसलिए याचिकाकर्तागण के द्वारा विभिन्न मदों में कुल 65,96,000/–रूपये की क्षतिपूर्ति राशि मय **12** प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज विपक्षीगण से दिलाए जाने का निवेदन किया है।

4. याचिकाकर्तागण की ओर से याचिका में यह भी अभिकथित किया गया है कि वाहन ट्रक संख्याः आर.जे.–07–जी.ए.–8615 का पंजीकृत स्वामी विपक्षी संख्या–1 मुरारीलाल होकर वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन विपक्षी संख्या–3 यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी के यहॉ बीमित था। इस कारण से विपक्षीगण संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से याचिकाकर्तागण को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी है।

5. विपक्षी संख्या–1 की ओर से याचिका का जवाब प्रस्तुत किया जाकर यह अभिकथित किया गया है कि मृतक तुलसीराम 108 एम्बूलेंस संख्या आरजे–14–पीए–9710 से यात्रा कर रहा था। उक्त वाहन एवं ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 की आमने–सामने टक्कर हुई थी। वाहन 108 एम्बुलेंस के चालक ने दुर्घटना के दिवस सर्वप्रथम सड़क के मध्य खड़े साण्ड को टक्कर मारी। उसके उपरान्त वाहन ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 के सामने से आकर जोरदार टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की है। प्रश्नगत दुर्घटना एम्बुलेंस चालक की गफलत, लापरवाही से घटित हुई है। वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन का चालक किस्तूरराम नहीं होकर नरसीराम था। प्रश्नगत वाहन में सवार खलासी कम चालक किस्तूराराम की भी उक्त दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ट्रक

चालक नरसाराम द्वारा दुर्घटना के सम्बन्ध में दी गई रिपोर्ट को पुलिस थाना नावां ने लेने से इन्कार कर दिया।

6. विपक्षी संख्या–1 की ओर से जवाब याचिका में आगे यह भी कथन किया गया है कि वक्त दुर्घटना एम्बुलेंस चालक व मृतक तुलसीराम दोनों शराब पिये हुए थे। प्रश्नगत दुर्घटना में एम्बुलेंस चालक की गलती होने के बावजूद भी पुलिस ने मिलीभगत करके जानबूझकर एफ.आर. पेश की है। वाहन ट्रक संख्या आरजे 07–जीए–8615 का संचालन नवैली लिग्नाईट कॉपोरेशन की परियोजना के तहत किया जा रहा था। उक्त वाहन के चालक के पास वैध एवं प्रभावी लाईसेंस होना आवश्यक होता है। दिनांक 14–6–2016 को चालक नरसाराम प्रश्नगत वाहन में एनएलसी से राखी भरकर जयपुर जा रहा था, जिसके आऊट पास एवं माल की बिल्टी में चालक का नाम नरसाराम अंकित है। पुलिस वालों ने एम्बुलेंस संख्या आरजे–14–पीए–9710 के मालिक के अनुचित दबाव में नक्शा मौका मुर्तिब किया है, जबकि ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 का चालक नरसाराम मौके पर उपस्थित था। वक्त दुर्घटना वाहन ट्रक चालक नरसाराम के पास वैध एवं प्रभावी लाईसेन्स था। उक्त वाहन विपक्षी संख्या–2 बीमा कंपनी के यहां असीमित दायित्व के लिए बीमित था। इसलिए याचिकाकर्तागण की याचिका विपक्षी संख्या–1 के विरूद्ध खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

7. विपक्षी संख्या–2 बीमा कंपनी की ओर से जवाब याचिका प्रस्तुत की जाकर यह अभिकथित किया गया है कि याचिकाकर्तागण ने वाहन संख्या आरजे–07–जी.ए. –8615 को प्रश्नगत दुर्घटना में गलत रूप से केवल मात्र क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए आलिप्त किया है। प्रश्नगत दुर्घटना में केवल मात्र वाहन एम्बुलेंस 108 की एकमात्र उपेक्षा रही है। वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या–1 का वाहन आरजे–07–जी.ए.–8615 विपक्षी संख्या–2 के यहां दिनांक 27–02–2016 से दिनांक 26–02–2017 तक बीमा पॉलिसी की शर्तों के अधीन बीमित था। वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या–1 ने वाहन का चालन वैध एवं प्रभावी लाईसेन्सधारी से नहीं करवाकर बीमा कंपनी की शर्तों का उल्लघंन किया है। बीमित वाहन का चालक प्रश्नगत दुर्घटना के समय वाहन स्वामी व बीमाधारक के नियोजन में होकर उनके लाभार्थ व हितार्थ कार्य नहीं कर रहा था। याचिकाकर्तागण

ने याचिका राजस्थान मोटर व्हीकल अधिनियम, 1990 व मोटरयान अधिनियम के निहित प्रारूप व प्रावधानुसार पेश नहीं की है। इसलिए याचिकाकर्तागण की याचिका मय हर्जे—खर्चे खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

8. उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत उक्त अभिवचनों के आधार पर क्लेम याचिका में अधिकरण द्वारा निम्नानुसार विवाद्यक विरचित किये गये हैः—

1. **आया दिनांक 16—6—2016 को वाहन ट्रक संख्या आरजे—07—जीए—8615 को उसके चालक किस्तूरराम को तेजगति, लापरवाही व असावधानी से चलाकर दुर्घटना कारित की, जिस कारण तुलसीराम की मृत्यु हुई?**
——याचिकाकर्तागण

2. **आया वक्त दुर्घटना चालक मृतक किस्तूरराम, विपक्षी संख्या—1 वाहन के रजिस्टर्ड स्वामी के नियोजन में हितार्थ, लाभार्थ वाहन का संचालन कर रहा था, इसी दौरान उक्त दुर्घटना घटित हुई ?**
——याचिकाकर्तागण

3. **आया विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा, प्रारंभिक आपत्तियों और विशेष विवरण में अंकित आपत्तियों का क्या प्रभाव है?**
——याचिकाकर्तागण

4. **आया याचिकाकर्तागण, विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि 65,96,000/— रूपये अक्षरे पैसठ लाख छियानवे हजार रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है?**
——याचिकाकर्तागण

अनुतोष ?

9. याचिकाकर्तागण की ओर से मौखिक साक्ष्य के दौरान गवाहान ए.ड.—1 श्रीमती सीतादेवी एवं ए.ड.—2 दिलीप सिंह को परीक्षित परिक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श—1 लगायत प्रदर्श—14 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है।

10. विपक्षी संख्या—1 की ओर से मौखिक साक्ष्य के दौरान गवाह एन.ए.ड.—1 मुरारीलाल एवं एन.ए.ड.—2 नरसाराम को परीक्षित करवाया गया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श एन.ए.—1 लगायत प्रदर्श एन.ए.—8 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया है।

11. विपक्षी संख्या—2 बीमा कंपनी की ओर से मौखिक साक्ष्य के दौरान गवाह

एन.ए.ड.–1 रोहिताश कुमार को परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श एन.ए.–1 लगायत प्रदर्श एन.ए.–3 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया है।

12. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

13. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्तागण के तर्क रहे है कि प्रश्नगत दुर्घटना विपक्षी संख्या–1 वाहन के रजिस्टर्ड स्वामी के नियोजन में चालक/मृतक किस्तूराराम द्वारा अपने वाहन ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 को लापरवाही, उपेक्षा व तेजगति से चलाने के कारण घटित हुई है। वाहन ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 का पंजीकृत स्वामी विपक्षी संख्या–1 व विपक्षी संख्या–2 यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स वाहन की बीमा कंपनी है, जिससे उनका संयुक्ततः एवं पृथकतः रूप से दायित्व आरोपित दुर्घटना में पूर्णतया प्रमाणित है। याचिकाकर्तागण की ओर से जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उनके खण्डन में विपक्षीगण की किसी भी प्रकार की कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है। याचिकाकर्तागण याचिका में अभिकथित किये गये तथ्यों के अनुरूप विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है और इसी अनुरूप याचिकाकर्तागण की क्लेम याचिका स्वीकार कर वांछित क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने का निवेदन किया है।

14. विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या–1 का दौराने बहस तर्क रहे है प्रश्नगत दुर्घटना वाहन 108 एम्बुलेंस संख्या आरजे–14–पीए–9710 एवं ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 की आमने–सामने टक्कर हुई थी। वाहन 108 एम्बुलेंस के चालक ने दुर्घटना के दिवस को सर्वप्रथम सड़क के मध्य खड़े साण्ड को टक्कर मारी, उसके उपरान्त वाहन ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 के सामने से जोरदार टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की है। वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन का चालक नरसीराम था। प्रश्नगत दुर्घटना में एम्बुलेंस चालक की गलती होने के बावजूद भी पुलिस ने मिलीभगत करके जानबूझकर एफआर पेश की है। वाहन ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 का संचालन नवैली लिग्नाईट कॉपोरेशन की परियोजना के तहत किया जा रहा था। उक्त वाहन के चालक के पास वैध एवं प्रभावी लाईसेंस होना आवश्यक होता है। पुलिस वालों ने एम्बुलेंस

संख्या आरजे–14–पीए–9710 के अनुचित दबाव में नक्शा मौका मुर्तिब किया है। जबकि ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 के चालक नरसाराम मौके पर उपस्थित था। वक्त दुर्घटना वाहन ट्रक चालक नरसाराम के वैध एवं प्रभावी लाईसेन्स था। उक्त वाहन विपक्षी संख्या–2 बीमा कंपनी के यहां असीमित दायित्व के बीमित था। इसलिए याचिकाकर्तागण की याचिका मय हर्जे–खर्चे के खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

15. विपक्षी संख्या–2 बीमा कपंनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक बहस के दौरान मुख्य रूप से यह तर्क रहे है कि याचिकाकर्तागण ने वाहन संख्या आरजे–07–जी.ए.–8615 को प्रश्नगत दुर्घटना में गलत रूप से आलिप्त केवल मात्र क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए किया है। प्रश्नगत दुर्घटना में केवल मात्र वाहन एम्बुलेंस 108 की उपेक्षा रही है। वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या–1 का वाहन आरजे–07–जी.ए.–8615 विपक्षी संख्या–2 के यहां दिनांक 27–02–2016 से दिनांक 26–02–2017 तक बीमा पॉलिसी की शर्तों के अधीन बीमित था। वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या–1 ने वाहन का चालन वैध एवं प्रभावी लाईसेन्सधारी से नहीं करवाकर बीमा शर्तों का उल्लघंन किया है। इसलिए याचिकाकर्तागण की याचिका खारिज करने का निवेदन किया है।

16. उपरोक्त तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। क्लेम याचिका में जो विवाद्यक विरचित किये गये हैं, उन पर इस अधिकरण का निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः–

<u>विवाद्यक संख्या–1 व 2</u>

17. विवाद्यक संख्या–1 व 2 निम्न प्रकार से विरचित किये गये है किः–

1. **आया दिनांक 16–6–2016 को वाहन ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 को उसके चालक किस्तूरराम ने तेजगति, लापरवाही व असावधानी से चलाकर दुर्घटना कारित की, जिस कारण तुलसीराम की मृत्यु हुई?**

2. **आया वक्त दुर्घटना चालक मृतक किस्तूरराम, विपक्षी संख्या–1 वाहन के रजिस्टर्ड स्वामी के नियोजन में हितार्थ, लाभार्थ वाहन का संचालन कर रहा था, इसी दौरान उक्त दुर्घटना घटित हुई ?**

18. उक्त दोनों विवाद्यकों के एक–दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से उक्त दोनों विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। विवाद्यक संख्या–1 व 2 को प्रमाणित करने का भार याचिकाकर्तागण पर है। उपरोक्त विवाद्यकों के संबंध में याचिकाकर्तागण ने ए.ड.–1 श्रीमती सीतादेवी, ए.ड.–2 दिलीप सिंह को परीक्षित करवाया गया है।

19. याचिकाकर्तागण की ओर से परीक्षित गवाह ए.ड.–1 श्रीमती सीता देवी, जो मृतक तुलसीराम की पत्नी है, ने अपने सशपथ कथनों के दौरान क्लेम याचिका में वर्णितानुसार ही कथन करते हुये यह वर्णित किया है कि दिनांक 16–6–2016 को रात्रि करीब 1:30 बजे उसके पति तुलसीराम एम्बुलेंस 108 के चालक गणेशराम के साथ ग्राम नावां से चौसला जा रहे थे। जब उक्त वाहन बालाजी पेट्रोल पंप, नावां के पास पहुंचा तो सामने से ट्रक संख्या 8615 के चालक किस्तूरराम ने वाहन को तेजगति, लापरवाही व असावधानी से चलाते हुए साईड में चल रही एम्बुलेंस के टक्कर मारी। उक्त दुर्घटना में उसके पति तुलसीराम के शरीर पर जगह–जगह काफी गंभीर व अदरूनी चोटें कारित होने से उसकी पति की मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना में एम्बुलेंस चालक गणेशराम की मृत्यु हो गई। प्रश्नगत दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही के कारण घटित हुई है।

20. इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 अंतिम रिपोर्ट, प्रदर्श–2 प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श–3 फर्द नक्शा मौका, प्रदर्श–4 फर्द जब्ती ट्रक, प्रदर्श–5 पोस्टमोर्टम रिपोर्ट मृतक तुलसीराम, प्रदर्श–6 फर्द सूरत हाल लाश, प्रदर्श–7 फर्द पंचनामा, प्रदर्श–8 फर्द सुपुर्दगीनामा लाश, प्रदर्श–9 धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस, प्रदर्श–10 मैकेनिकल मुआयना, प्रदर्श–11 वाहन ट्रक की आर.सी., प्रदर्श–12 बीमा, प्रदर्श–13 व प्रदर्श–14 परमिट दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया है।

21. इस गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि वह वक्त दुर्घटना दुर्घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। उसके पति वाहन एम्बुलेंस 108 में सवार थे। गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि उसने ट्रक चालक किस्तूरराम का डीएल. अपनी

याचिका में पेश नहीं किया है। इस प्रकार यह गवाह घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षिया नहीं होकर केवल मात्र सुनी–सुनाई बात के आधार पर साक्ष्य दे रही है। इस कारण इस गवाह के कथन उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण नहीं रह जाते है।

22. याचिकाकर्तागण की ओर से परीक्षित गवाह ए.ड.–2 दिलीपसिंह, जो कि दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि वह बालाजी पेट्रोल पंप, नावां में नौकरी करता है। दुर्घटना दिनांक 16–6–2016 को रात्रि 01:30 बजे वह और शेरसिंह पंप पर बैठे थे। तभी चौसला की तरफ से वाहन एम्बुलेंस 108 संख्या आरजे–14–पीए–9710 आई। एम्बुलेंस का चालक गणेशराम था, उसके साथ में तुलसीराम भी बैठा हुआ था। वे चौसला से नावां जा रहे थे। उसी समय सामने से एक वाहन ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 को उसका चालक किस्तूरराम तेजगति, लापरवाही से चलाते हुए लाया और सड़क के साईड में चली रही एम्बुलेंस के टक्कर मार दी, जिससे एम्बुलेंस चालक गणेशराम व तुलसीराम के शरीर पर जगह–जगह काफी गंभीर व अन्दरूनी चोटें आई। उक्त दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूप गणेशराम व तुलसीराम की मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना ट्रक चालक द्वारा वाहन को तेजगति, लापरवाही से चलाने के कारण घटित हुई है।

23. गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि वह वक्त दुर्घटना पेट्रोल पंप पर था। प्रश्नगत दुर्घटना एम्बुलेंस व ट्रक के मध्य हुई थी। वाहन ट्रक के नम्बर आरजे–07–8615 थे। उसके पुलिस बयान दिनांक 16–6–2016 को हुए थे। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका उसके सामने नहीं बनाया था। वह मृतक तुलसीराम को दुर्घटना से पूर्व से नहीं जानता है। गवाह ने दौराने जिरह प्रश्नगत दुर्घटना में वाहन की ट्रक लिप्तता एवं उपेक्षा नहीं होने के सुझाव से इन्कारी की है।

24. विपक्षी संख्या–1 एन.ए.ड.–1 मुरारीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि वह वाहन ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 का रजिस्टर्ड स्वामी है। दिनांक 14–6–2016 को उसका ट्रक एल.एन.सी. बरसीसर, बीकानेर से जयपुर के लिए रवाना हुआ था। कस्बा नावां में एच.पी. पेट्रोल पंप के पास

सामने से आ रही एम्बूलेंस के सांड ने टक्कर मारी। उसके उपरान्त वाहन एम्बूलेंस उसके ट्रक में आकर गिर गई। ट्रक चालक ने वाहन को रोड़ के नीचे उताकर पेट्रोल पंप के पास ही रोक दिया। वक्त दुर्घटना उसके वाहन पर चालक नरसाराम, निवासी गिरवरसर था। उक्त दुर्घटना दिनांक 16–6–2016 को रात्रि करीब 1:30 बजे घटित हुई थी। उसका ट्रक भारत सरकार के उपक्रम एनएलसी में लगा हुआ है, जिसमें राखियां भरी हुई थी। दुर्घटना के उपरान्त वह रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने गया था, किन्तु उससे पूर्व एम्बुलेंस का मुकदमा दर्ज हो चुका था। इसलिए पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। प्रश्नगत दुर्घटना वाहन एम्बुलेंस के चालक की लापरवाही के कारण घटित हुई थी। किस्तूरराम उसके ट्रक पर खलासी था। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श एन.ए.–1 नरसाराम का डी.एल., प्रदर्श एन.ए.–2 सत्यापन प्रमाण–पत्र, प्रदर्श एन.ए.–3 ट्रांसपोर्ट की बिल्टी, प्रदर्श एन.ए.–4 ट्रांसपोर्ट का पत्र, प्रदर्श एन.ए.–5 ट्रक की बीमा पॉलिसी दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया है।

25. उक्त गवाह ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि उसने वाहन मालिक की हैसियत से वाहन को सुपुर्दगीनामें पर छुड़वाया था। गवाह ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि वह दुर्घटनास्थल पर नहीं था। गवाह ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि किस्तुरराम के विरूद्ध उसकी मृत्यु के बाद उसकी गलती मानते हुए चालान पेश हुआ था। गवाह ने चार्जशीट के विरूद्ध किसी न्यायालय में अपील पेश नहीं करना स्वीकार किया है।

26. विपक्षी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत साक्षी एन.ए.ड.–2 नरसाराम ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि वह मुरारीलाल के वाहन ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 का स्थाई रूप से चालक है। वह दिनांक 16–6–2016 को बरसिंगसर से राखी भरकर जयपुर जा रहा था। रात्रि करीब 1:30 बजे उसके सामने एक एम्बूलेंस आई, जिसके चालक ने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाते हुए सांड के टक्कर मारी, फिर उसकी ट्रक में आकर गिर गई, उसने ट्रक को सड़क से नीचे उतार दिया। प्रश्नगत दुर्घटना एम्बुलेंस चालक की गलती व लापरवाही से हुई थी। दुर्घटना के उपरान्त ट्रक स्वामी ने

पुलिस अधीक्षक, नागौर को दिनांक 14–7–2016 को प्रकरण दर्ज नहीं करने बाबत् शिकायत की एवं अनुसंधान बदलने का निवेदन किया था। वक्त दुर्घटना किस्तूरराम उसका खलासी था। वह बरसिंगसर से ट्रांसपोर्ट से बिल्टी लेकर रवाना हुआ था। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श–6 रिपोर्ट, प्रदर्श–7 परिवाद दर्ज करने की रसीद, प्रदर्श–8 रिमाण्डर–पत्र को प्रदर्शित करवाया है।

27. इस गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि पुलिस ने मेरे विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। प्रदर्श–6 रिपोर्ट पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि पुलिस ने किस्तूरराम की गलती मानते हुए कार्यवाही की थी। उसने अपना चोट प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि प्रदर्श–6 व प्रदर्श–8 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि पुलिस ने किस्तूरराम को दोषी मानते हुए न्यायालय में फौतगी में आरोप–पत्र पेश किया था। वह मुरारीलाल वाहन ट्रक स्वामी के यहां 5 वर्ष से नौकरी कर रहा था। गवाह ने दौराने जिरह मुरारीलाल के यहां नौकरी करने के कारण मुरारीलाल को क्षतिपूर्ति राशि से बचाने के लिए झूठे बयाने देने के तथ्य इन्कारी की है।

28. अधिवक्ता विपक्षी संख्या–1 का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि वक्त दुर्घटना ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 का चालक मृतक किस्तूरराम नहीं होकर नरसाराम था। इस सम्बन्ध में विपक्षी संख्या–1 मुरारीलाल बतौर एन.ए.–1 परीक्षित हुआ है, किन्तु यह गवाह वक्त दुर्घटना मौके पर नहीं होना स्वीकार करता है। इस कारण इस गवाह के कथन प्रकरण पर महत्वपूर्ण नहीं रह जाते है। इसी के साथ एन.ए.–2 नरसाराम ने दुर्घटना दिवस को ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 में बरसिंगसर से राखी भरकर जयपुर जाना एवं रात्रि के डेढ बजे सामने से एक एम्बुलेंस द्वारा पहले साण्ड के एवं बाद में उसके ट्रक के सामने से आकर टक्कर मारना एवं किस्तूरराम का वाहन पर खलासी होना बताया है। उक्त गवाह ने जिरह के दौरान पुलिस द्वारा किस्तूरराम की गलती मानते हुए कार्यवाही किया जाना स्वीकार किया है।

29. इस प्रकार एन.ए.ड.–1 मुरारीलाल सुनी–सुनाई बात के आधार पर साक्ष्य देता है

एवं गवाह एन.ए.ड.–2 ने अपने मुख्य परीक्षण व प्रतिपरीक्षण के दौरान भिन्न–भिन्न कथन कर विरोधाभासी साक्ष्य दी है। गवाह एन.ए.ड.–2 ने दुर्घटना में अपने चोटें आने के सम्बन्ध में चिकित्सक की कोई पर्ची पेश नहीं करना स्वीकार किया है। इस प्रकार प्रश्नगत दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु होने एवं उक्त गवाह के प्रश्नगत वाहन का चालक होने के बावजूद भी उसके किसी भी प्रकार की कोई साधारण एवं संघातिक चोटें कारित नहीं होने के कारण उक्त गवाह के द्वारा किए गए उपरोक्त कथन सन्देहास्पद प्रतीत होते है।

30. विपक्षी संख्या–1 की ओर से नरसाराम के डी.एल. को प्रदर्श–एन.ए.–1, कर सत्यापन प्रमाण–पत्र प्रदर्श एन.ए.–2, बिल्टी प्रदर्श एन.ए.–3, एच.एम. ट्रांसपोर्ट कम्पनी के प्रमाण–पत्र को प्रदर्श– एन.ए.–4, बीमा प्रमाण–पत्र प्रदर्श एन.ए.–5, पुलिस अधीक्षक को प्रेषित रिमाईण्डर को प्रदर्श एन.ए.–6 एवं रसीद को प्रदर्श एन.ए.–7 के रूप में प्रदर्शित कराया है। विपक्षी संख्या–1 की ओर से प्रदर्शित दस्तावेजात कर सत्यापन प्रमाण–पत्र प्रदर्श एन.ए.–2, बिल्टी प्रदर्श एन.ए.–3 में कहीं भी प्रश्नगत वाहन पर चालक नरसाराम होने का तथ्य अंकित नहीं होने का तथ्य दर्शित होता है। हालांकि एच.एम. ट्रांसपोर्ट कम्पनी के प्रमाण–पत्र प्रदर्श–एन.ए.–4 में दिनांक 14–06–2016 को रात्रि 23:54 पी.एम. पर चालक नरसाराम होने का तथ्य वर्णित किया गया है, किन्तु उक्त कम्पनी का कोई अधिकृत अधिकारी उक्त वाहन पर उपस्थित था या कम्पनी का कोई वाहन उक्त ट्रक के साथ–साथ चल रहा था, ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। इस कारण कम्पनी द्वारा किस आधार पर यह प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, इस तथ्य को विपक्षी संख्या–1 की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है।

31. इसी के साथ विपक्षी संख्या–1 की ओर से पुलिस अधीक्षक नागौर को प्रेषित रिमाईण्डर प्रदर्श एन.ए.–6 का अवलोकन करे तो हालांकि रिमाईण्डर में चालक नरसाराम होने का तथ्य वर्णित किया गया है, किन्तु उक्त रिमाईण्डर से पूर्व विपक्षी संख्या–1 की ओर से सम्बंधित थाने में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट आदि को न तो पत्रावली पर पेश किया गया है और न ही प्रदर्शित कराया गया है। इसके अतिरिक्त दस्तावेज प्रदर्श एन.ए.–6 पर भी पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक कार्यालय की कोई प्राप्ति अभिस्वीकृति भी उल्लेखित या वर्णित नहीं है।

32. इसके अतिरिक्त यदि नक्शा मौका प्रदर्श–3 का अवलोकन करे तो नक्शा मौका पर एम्बुलेंस द्वारा साण्ड के टक्कर मारकर फिर प्रश्नगत वाहन के सामने आकर टक्कर मारने या मौके पर साण्ड के टक्कर मारने के कोई अलामात नहीं होने से अधिवक्ता विपक्षी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाये जाते है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार विपक्षी संख्या–1 द्वारा मात्र मौखिक रूप से चालक किस्तूरराम नहीं होकर नरसाराम अभिकथित किए जाने एवं उसके समर्थन में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन का चालक नरसाराम होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

33. जहॉ तक प्रश्नगत दुर्घटना ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 चालक/मृतक किस्तूरराम द्वारा उपेक्षा एवं लापरवाही से चलकर कारित करने का प्रश्न है। उक्त संदर्भ में उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के संदर्भ में यदि दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तो लिखित रिपोर्ट प्रदर्श–2 के आधार पर पुलिस थाना नावां द्वारा प्रकरण संस्थित किया गया है। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श–2 में दुर्घटना ट्रक संख्या आर.जे.–07–जी.ए.–8615 से कारित होने का तथ्य अंकित है, जिस पर दौराने अनुसंधान सम्बंधित पुलिस के द्वारा वाहन ट्रक के स्वामी विपक्षी संख्या–2 को नोटिस 133 एम.वी.एक्ट प्रदर्श–9 प्रेषित किया गया है। उक्त नोटिस के जवाब में विपक्षी संख्या–2 ने दुर्घटना दिवस को चालक किस्तूराराम होने का जवाब प्रस्तुत किया है। याचिका के अवलोकन से प्रश्नगत दुर्घटना में ट्रक चालक किस्तूराराम की मृत्यु होने का तथ्य दर्शित होता है।

34. फर्द जब्ती वाहन ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 प्रदर्श–4 के अवलोकन से सम्बंधित पुलिस के द्वारा दौराने अनुसंधान वाहन ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 को दुर्घटना में आलिप्त मानकर जब्त किए जाने से भी उक्त वाहन से ही दुर्घटना घटित होने का तथ्य प्रमाणित होता है। आरोप–पत्र प्रदर्श–1 के अवलोकन से भी बाद अनुसंधान सम्बंधित पुलिस के द्वारा प्रश्नगत दुर्घटना के समय चालक किस्तूराराम के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप प्रमाणित होना निष्कर्षित कर

किस्तूराराम की मृत्यु होने से एफ.आर. अदम फौतगी अभियुक्त में प्रस्तुत किए जाने से भी प्रश्नगत दुर्घटना एकमात्र चालक किस्तूराराम की गफलत एवं लापरवाही से घटित होने का तथ्य प्रमाणित होता है।

35. इसी के साथ नक्शा मौका प्रदर्श–3 का अवलोकन करे तो नक्शा मौका प्रदर्श–3 में दुर्घटना स्थल को मार्क ''एक्स'' से दर्शित किया गया, जो बालाजी सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप के सामने का है। नक्शा मौका में वर्णित मार्क 'एक्स' 'एक्स–1' एवं मार्क 'एक्स–2'' के अनुसार भी प्रश्नगत दुर्घटना ट्रक के चालक किस्तूरराम द्वारा अपने वाहन को गलत दिशा में ले जाकर एम्बुलेंस के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करने का तथ्य दर्शित होता है। मृतक तुलसीराम की पोस्टमोर्टम रिपोर्ट प्रदर्श–5 के अनुसार तुलसीराम के शरीर पर आई संघातिक चोटें कारित होने के कारण मृत्यु होने का तथ्य प्रमाणित होता है। विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में पत्रावली पर कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे उक्त दस्तावेजात का खण्डन हो। इस कारण याचिकाकर्तागण की मौखिक साक्ष्य एवं प्रदर्शित दस्तावेजात से प्रश्नगत दुर्घटना एकमात्र वाहन ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 से घटित होने का तथ्य प्रमाणित होता है।

36. याचिकाकर्तागण के द्वारा प्रदर्शित आर.सी. प्रदर्श–11 के अनुसार ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 का पंजीकृत स्वामी विपक्षी संख्या–1 मुरारीलाल होने का तथ्य प्रमाणित होता है। बीमा प्रमाण–पत्र प्रदर्श–12 के अवलोकन से ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 दिनांक 27–02–2016 से 26–02–2017 तक की अवधि तक विपक्षी संख्या–3 यूनाईटेड इन्श्योरेन्स कंपनी के यहां बीमित होने का तथ्य दर्शित होता है। अतः याचिकाकर्तागण के द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य पूर्णतया प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत दुर्घटना एकमात्र वाहन चालक ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 को तेजगति एवं असावधानी से चलाकर कारित की गई है। उक्त दुर्घटना में तुलसीराम की मृत्यु हुई। वक्त दुर्घटना चालक किस्तूराराम, विपक्षी संख्या–2 वाहन स्वामी के नियोजन में कार्य कर रहा था और इसी नियोजन काल में यह दुर्घटना कारित हुई। प्रश्नगत वाहन विपक्षी संख्या–3 यूनाईटेड इन्श्योरेन्स कंपनी

के यहां असीमित दायित्व के बीमित था। अतः विवाद्यक संख्या–1 व 2 याचिकाकर्तागण के पक्ष में तथा विपक्षीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाते हैं।

विवाद्यक संख्या–3:–

37. विवाद्यक संख्या–3 निम्न प्रकार से विरचित किया गया है किः–

> **"आया विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा, प्रारंभिक आपत्तियों और विशेष विवरण में अंकित आपत्तियों का क्या प्रभाव है?"**

38. इस विवाद्यक को साबित करने का भार विपक्षीगण पर था। विपक्षी संख्या–1 की मुख्य रूप से यह आपत्ति रही है कि वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 का चालक किस्तूरराम नहीं होकर नरसाराम था। विवाद्यक संख्या–1 व 2 के विवेचन के दौरान वक्त दुर्घटना वाहन संख्या ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 का चालक नरसाराम नहीं होकर किस्तूरराम नहीं होने का तथ्य निष्कर्षित किया गया है। इस कारण उक्त सम्बन्ध में पुनः विवेचन किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

39. अधिवक्ता विपक्षी संख्या–2 की मुख्य रूप से यह आपत्ति रही है कि वक्त दुर्घटना ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 के चालक किस्तूराराम के पास वैध एवं प्रभावी अनुज्ञा–पत्र नहीं होने के कारण बीमा शर्तों का उल्लंघन होने से बीमा कम्पनी का कोई दायित्व प्रतिकर राशि की अदायगी का नहीं है।

40. इस सम्बन्ध में विपक्षी संख्या–2 की ओर से एन.ए.ड.–1 रोहिताश कुमार को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने बयानों के दौरान यह कथन किया है कि वाहन ट्रक संख्या आरजे–07–8615 दिनांक 27–02–2016 से दिनांक 26–02–2017 तक जरिये बीमा पॉलिसी प्रदर्श एन.ए.–1 उनकी बीमा कम्पनी के यहॉ बीमित था, जिसके अनुसार बीमित वाहन का चालन वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञाधारी द्वारा किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में चालक व वाहन स्वामी द्वारा चालक का कोई वैध ड्राईविंग लाईसेंस पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वाहन स्वामी को ड्राईविंग लाईसेंस पेश करने के लिये नोटिस प्रदर्श एन.ए.–2 प्रेषित किया गया था, जिसकी रसीद प्रदर्श एन.ए.–3 व डाक विभाग का रिकार्ड प्रदर्श एन.ए.–3 है। उक्त सूचना–पत्र वाहन स्वामी को प्राप्त

होने के पश्चात् भी चालक का ड्राईविंग लाईसेंस पेश नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वक्त दुर्घटना चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था, जो बीमा पॉलिसी की शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है, इस कारण बीमा कम्पनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

41. गवाह ने दौराने जिरह के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने वाहन चालक किस्तूराराम के परिवार को चालक लाईसेंस के सम्बन्ध में कोई नोटिस नहीं दिया था। बीमा कम्पनी द्वारा जिला परिवहन से ड्राईविंग लाईसेंस की जॉच नहीं करवाई गई थी। पुलिस ने अनुसंधान में किस्तूराराम को चालक मानते हुए आरोप–पत्र प्रस्तुत किया है।

42. विपक्षी संख्या–2 के उक्त तर्कों एवं मौखिक साक्ष्य के संदर्भ में यदि पत्रावली का अवलोकन करे तो पत्रावली पर याचिकार्तागण एवं विपक्षी संख्या–1 द्वारा चालक किस्तूराराम का ड्राईविंग लाईसेंस पत्रावली पर पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाये जाने का तथ्य दर्शित होता है। इसी के साथ नोटिस प्रदर्श एन.ए.–2 के अनुसार भी विपक्षी संख्या–1 द्वारा विपक्षी संख्या–2 बीमा कम्पनी की ओर से नोटिस प्रेषित किए जाने के बावजूद भी पत्रावली पर मृतक किस्तूरराम का डी.एल. पेश नहीं किए जाने का तथ्य दर्शित होता है। इस कारण चालक किस्तूराराम का ड्राईविंग लाईसेंस पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से यही उपधारणा ली जायेगी कि वक्त दुर्घटना किस्तूराराम के पास वैध एवं प्रभावी अनुज्ञापत्र नहीं था। इस प्रकार मृतक चालक किस्तूराराम के पास वैध एवं प्रभावी अनुज्ञा–पत्र नहीं होने के कारण बीमा शर्तों का उल्लंघन होने का तथ्य भी प्रमाणित होता है।

43. इस प्रकार विपक्षी संख्या–3 की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से वक्त दुर्घटना मृतक किस्तूराराम के पास प्रश्नगत वाहन को चलाने हेतु वैध अनुज्ञा–पत्र नहीं होने का तथ्य प्रमाणित होता है। विपक्षी संख्या–2 की ओर से इस सम्बन्ध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि विपक्षी संख्या–1 को वाहन चालक किस्तूराराम के पास वैध एवं प्रभावी अनुज्ञा–पत्र नहीं होने की जानकारी थी एवं उसके बावजूद भी विपक्षी संख्या–1 ने अपने ट्रक नं. आर.जे–07–जी.ए.–8615 को चलाने के लिये किस्तूराराम को अधिकृत किया हो। क्षतिपूर्ति अदायगी के दायित्व के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम

न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **National Insurance Co. Ltd. V/s Swaran Singh (2004 91) TAC 321 (SC) (LB)** में यह विधि प्रतिपादित की गयी है किः–

> "(iii) The breach of policy condition e.g., disqualification of driver or invalid driving licence of the driver, as contained in sub-section (2)(a)(ii) of section 149, have to be proved to have been committed by the insured for avoiding liability by the insurer. Mere absence, fake or invalid driving licence or disqualification of the driver for driving at the relevant time, are not in themselves defences available to the insurer against either the insured or the third parties. To avoid its liability towards insured, the insurer has to prove that the insured was guilty of negligence and failed to exercise reasonable care in the matter of fulfilling the condition of the policy regarding use of vehicles by duly licensed driver or one who was not disqualified to drive at the relevant time."

44. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने एक निर्णय **सिविल अपील संख्या 20962/17 पप्पू व अन्य बनाम विनोद कुमार लाम्बा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10–01–2018** में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः–

> "the Insurance Company liable to discharge his liability arising from rash and negligent driving by the driver of his vehicle. The Insurance Company can be fastened with the liability on the basis of a valid insurance policy only after the basic facts are pleaded and established by the owner of the offending vehicle - that the vehicle was not only duly insured but also that it was driven by an authorised person having a valid driving licence. Without disclosing the name of the driver in the Written Statement or producing any evidence to substantiate the fact

that the copy of the driving licence produced in support was of a person who, in fact, was authorised to drive the offending vehicle at the relevant time, the owner of the vehicle cannot be said to have extricated himself from his liability. The Insurance Company would become liable only after such foundational facts are pleaded and proved by the owner of the offending vehicle."

"The next question is: whether in the fact situation of this case the insurance company can be and ought to be directed to pay the claim amount, with liberty to recover the same from the owner of the vehicle (respondent No.1)? This issue has been answered in the case of National Insurance Company Ltd. (supra). In that case, it was contended by the insurance company that once the defence taken by the insurer is accepted by the Tribunal, it is bound to discharge the insurer and fix the liability only on the owner and/or the driver of the vehicle. However, this Court held that even if the insurer succeeds in establishing its defence, the Tribunal or the Court can direct the insurance company to pay the award amount to the claimant(s) and, in turn, recover the same from the owner of the vehicle. The three-Judge Bench, after analysing the earlier decisions on the point, held that there was no reason to deviate from the said well-settled principle. In paragraph 107 the Court then observed thus:"

"We may, however, hasten to add that the Tribunal and the court must, however, exercise their jurisdiction to issue such a direction upon consideration of the facts and circumstances of each case and in the event such a direction has been issued, despite arriving at a finding of fact to the effect that

the insurer has been able to establish that the insured has committed a breach of contract of insurance as envisaged under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (2) of Section 149 of the Act, the insurance company shall be entitled to realize the awarded amount from the owner or driver of the vehicle, as the case may be, in execution of the same award having regard to the provisions of Sections 165 and 168 of the Act. However, in the event, having regard to the limited scope of inquiry in the proceedings before the Tribunal it has not been able to do so, the insurance company may initiate a separate action therefor against the owner or the driver of the vehicle or both, as the case may be. Those exceptional cases may arise when the evidence becomes available to or comes to the notice of the insurer at a subsequent stage or for one reason or the other, the insurer was not given an opportunity to defend at all. Such a course of action may also be resorted to when a fraud or collusion between the victim and the owner of the vehicle is detected or comes to the knowledge of the insurer at a later stage."

Further, in paragraph No.110, the Court observed thus: 110. The summary of our findings to the various issues as raised in these petitions are as follows:

(i) Chapter XI of the Motor Vehicles Act, 1988 providing compulsory insurance of vehicles against third party risks is a social welfare legislation to extend relief by compensation to victims of accidents caused by use of motor vehicles. The provisions of compulsory insurance coverage of all vehicles are with this paramount object and the provisions of the Act have to be so interpreted as to effectuate the said object.

(ii) Insurer is entitled to raise a defence in a

claim petition filed under Section 163A or Section 166 of the Motor Vehicles Act, 1988 inter alia in terms of Section 149(2)(a) (ii) of the said Act.

(iii) The breach of policy condition, e.g. disqualification of driver or invalid driving licence of the driver, as contained in Sub-section (2)(a)(ii) of Section 149, have to be proved to have been committed by the insured for avoiding liability by the insurer. Mere absence, fake or invalid driving licence or disqualification of the driver for driving at the relevant time, are not in themselves defences.

available to the insurer against either the insured or the third parties. To avoid its liability towards insured, the insurer has to prove that the insured was guilty of negligence and failed to exercise reasonable care in the matter of fulfilling the condition of the policy regarding use of vehicles by duly licensed driver or one who was not disqualified to drive at the relevant time,

(iv) The insurance companies are, however, with a view to avoid their liability must not only establish the available defence(s) raised in the said proceedings but must also establish 'breach' on the part of the owner of the vehicle; the burden of proof where for would be on them.

(v) The court cannot lay down any criteria as to how said burden would be discharged, inasmuch as the same would depend upon the facts and circumstance of each case.

(vi) Even where the insurer is able to prove breach on the part of the insured concerning the policy condition regarding holding of a valid licence by the driver or his qualification to drive during the relevant period, the insurer would not be allowed to avoid its liability towards insured unless the said breach or

breaches on the condition of driving licence is/ are so fundamental as are found to have contributed to the cause of the accident. The Tribunals in interpreting the policy conditions would apply "the rule of main purpose" and the concept of "fundamental breach" to allow defences available to the insured under Section 149(2) of the Act.

(vii) The question as to whether the owner has taken reasonable care to find out as to whether the driving licence produced by the driver, (a fake one or otherwise), does not fulfil the requirements of law or not will have to be determined in each case.

(viii) xxx

(ix) xxx

(x) Where on adjudication of the claim under the Act the tribunal arrives at a conclusion that the insurer has satisfactorily proved its defence in accordance with the provisions of Section 149(2) read with Sub-section (7), as interpreted by this Court above, the Tribunal can direct that the insurer is liable to be reimbursed by the insured for the compensation and other amounts which it has been compelled to pay to the third party under the award of the tribunal Such determination of claim by the Tribunal will be enforceable and the money found due to the insurer from the insured will be recoverable on a certificate issued by the tribunal to the Collector in the same manner under Section 174 of the Act as arrears of land revenue. The certificate will be issued for the recovery as arrears of land revenue only if, as required by Sub-section (3) of Section 168 of the Act the insured fails to deposit the amount awarded in favour of the insurer within thirty days from the date of announcement of the award by the tribunal.

> **(xi)** The provisions contained in Sub-section (4) with proviso thereunder and Sub-section (5) which are intended to cover specified contingencies mentioned therein to enable the insurer to recover amount paid under the contract of insurance on behalf of the insured can be taken recourse of by the Tribunal and be extended to claims and defences of insurer against insured by, relegating them to the remedy before, regular court in cases where on given facts and circumstances adjudication of their claims inter se might delay the adjudication of the claims of the victims."(emphasis supplied)

45. इसी प्रकार सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त **2008 आर.ए.आर. 157(सुप्रीम कोर्ट) नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम गीता भट्ट व अन्य के** मामलें में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बीमा कम्पनी के दायित्व के सम्बन्ध में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः–

> ''अप्रमाणित चालन अनुज्ञा–मालिक का कर्तव्य–तृतीय पक्षकार जोखिम–दुर्घटना लिप्त वाहन चालक का चालन अनुज्ञा पत्र अप्रमाणित पाया गया–यह वाहन मालिक इस युक्तियुक्त जॉच के लिये कर्तव्य से आबद्ध है कि व्यक्ति जो वाहन चलाने हेतु अधिकृत है, अनुज्ञा रखता है अथवा नहीं–बीमा कम्पनी को दायित्व से उन्मुक्त नहीं किया जा सकता–दावेदार को प्रतिकर अदा करने एवं मालिक से वसूली करने की स्वतंत्रता का निर्देश दिया गया।''

46. इसी क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **2014(1) डी.एन.जे.(राज0) पेज 8 नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी बनाम मनोहरीदेवी** में पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में भी बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने व प्रतिकर राशि को मालिक व

चालक से वसूल करने की विधि प्रतिपादित की गयी है।

47. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुरूप हालांकि वक्त दुर्घटना चालक किस्तूराराम के पास वैध अनुज्ञा–पत्र होने के तथ्य को विपक्षी संख्या–1 द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका है, किन्तु उक्त तथ्य की जानकारी विपक्षी संख्या–1 को होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य व अभिलेख पत्रावली पर नहीं होने के कारण एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णयों में प्रतिपादित की गई विधि के परिप्रेक्ष्य में बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी के दायित्व से उन्मुक्त नहीं होती है, अपितु क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के पश्चात् उक्त राशि की वसूली चालक/मालिक से करने के लिये स्वतंत्र है। अतः विवाद्यक संख्या–3 उपरोक्त विवेचनानुसार विनिश्चित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या–4</u>

48. विवाद्यक संख्या–4 इस प्रकार से विरचित किया गया है किः–

> **''आया याचिकाकर्तागण, विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि 65,96,000/– रूपये अक्षरे पैसठ लाख छीयानवे हजार रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है?''**

49. याचिकाकर्तागण द्वारा अधिकरण के समक्ष क्लेम याचिका प्रस्तुत कर मृतक तुलीसराम की वाहन ट्रक संख्या आरजे–07–जीए–8615 से दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण विपक्षीगण से प्रतिकर स्वरूप 65,96,000/–रूपये दिलवाने का निवेदन किया गया है। इसके अतिरिक्त मृतक की पत्नी श्रीमती सीता देवी ने याचिका में स्वयं को बतौर ए0ड0–1 परीक्षित करवाते हुए मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि उसके पति तुलसीराम वक्त दुर्घटना आयु 39–40 वर्ष थी। वह नमक की मजदूरी व खेती का कार्य करते हुए प्रतिमाह 12,000/–रूपये की आय अर्जित करते थे। याचिकाकर्तागण मृतक पर आश्रित थे। उक्त गवाह ने विपक्षी संख्या–3 द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया कि उसने याचिका के साथ अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड पेश नहीं किए है। उसने अपने पति की आय व आयु के बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किए है।

50. मोटर दुर्घटना प्रकरणों में प्रतिकर राशि के निर्धारण के लिये मृतक की आयु व आय दो महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करना होता है, जिनके आधार पर प्रतिकर राशि की गणना की जाती है। जहॉ तक मृतक तुलछीराम की आयु का प्रश्न है, इस संबंध में याचिकाकर्तागण ने याचिका में वक्त दुर्घटना तुलसीराम की आयु 40 वर्ष होने का तथ्य अंकित किया। याचिकाकर्तागण की ओर से मृतक की आयु के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस कारण यदि चिकित्सीय दस्तावेजों का अवलोकन करे तो मृतक तुलसीराम का पोस्टमोर्टम रिपोर्ट प्रदर्श–5, फर्द सूरत हाल लाश प्रदर्श–6, फर्द पंचनामा प्रदर्श–7 एवं फर्द सुपुर्दगीनामा लाश प्रदर्श–8 में मृतक तुलसीराम की आयु वक्त दुर्घटना 40 वर्ष होना अंकित किया गया है। इस प्रकार उक्त समस्त दस्तावेजात के अनुसार वक्त दुर्घटना मृतक तुलसीराम की आयु 40 वर्ष होने का तथ्य दर्शित होता है। इसलिये वक्त दुर्घटना मृतक तुलसीराम की आयु **40** वर्ष होने का तथ्य अभिनिर्धारित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

51. जहॉ तक मृतक तुलसीराम की आय का प्रश्न है, याचिकाकर्तागण द्वारा अपनी क्लेम याचिका में यह अभिकथित किया गया है कि मृतक तुलीसराम नमक की मजदूरी व खेती का कार्य करके प्रतिमाह 12,000/–रूपये की आय अर्जित कर उक्त आय को याचिकाकर्तागण पर खर्च कर उनका भरण–पोषण करता था। किन्तु याचिकाकर्तागण ने अपनी साक्ष्य के दौरान मृतक तुलसीराम की आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया है। इसलिए राजस्थान सरकार के श्रम विभाग के द्वारा अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मासिक मजदूरी **5226/–** रूपये होना अभिनिर्धारित किया है। इस प्रकरण की दुर्घटना दिनांक **16–06–2016** की है एवं दुर्घटना की दिनांक को भी उक्त दर ही प्रभाव में थी। ऐसी स्थिति में न्यूनतम एवं नोशनल आय के सिद्वांत के आधार पर वर्तमान परस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अकुशल श्रमिक की मासिक आय **5226/–**रूपये अभिनिर्धारित है। अतः मृतक तुलसीराम की आय प्रतिमाह **5226/–**रूपये होना अभिनिर्धारित किया जाता है।

52. याचिका मृतक तुलीसराम के आश्रित एवं वारिसान के द्वारा प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत याचिका के अवलोकन से याचिकाकर्ता संख्या–1 श्रीमती सीतादेवी मृतक तुलसीराम की पत्नी, याचिकाकर्ता संख्या–2 सुश्री आरती मृतक तुलीसराम की नाबालिग पुत्री है। इसलिये उपरोक्त विवेचन के अनुसार याचिकाकर्ता संख्या–1 व 2 को **मृतक पर आश्रित** होने का तथ्य विनिश्चित किया जाता हैं।

53. मृतक की आश्रितता, आय व आयु का निर्धारण करने के पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्रीमती सरला वर्मा व अन्य बनाम दिल्ली ट्रासपोर्ट कारर्पोरेशन व अन्य A.I.R. 2009 (S.C.) 3104** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार वक्त दुर्घटना मृतक तुलसीराम की **आयु 40 वर्ष** थी, जो कि **गुणांक 15** के अंतर्गत आता है। न्यायिक दृष्टांत **नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य A.I.R. 2017 (S.C.) पेज 4973** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक तुलसीराम के **आश्रितो की संख्या–2** है। उसके आधार पर व्यक्तिगत खर्चों और जीवन निर्वाह के खर्चों का निर्धारण **1/3** और निम्न सारणी के अनुसार क्लेम राशि को तय किया जाना न्यायोचित प्रकट होता हैः–

1	Nature of deceased job.	**Self Employed**
2	Marital status of deceased.	**Married**
3	Number of Dependents.	**2**
4	Age of deceased in Years.	**40**
5	Monthly Income	**5226**
6	Annual Income (Monthly Income *12)	**62,712**
7	Addition Made in income (As per Pranay Sethi Cases)= **25%**	**15,678**
8	Total after Addition made	**78,390**
9	**Deduction towards personal and living expenses of the deceased. Amount mentioned at serial no. 8 Divided by = 1/3 (As per Sarla Case)**	**26,130**
10	Total after Deduction towards personal and living expenses of the deceases.	**52,260**
11	Multiplier (As per Sarla Case)= **15**	**7,83,900**
12	Lose of Dependency =	**7,83,900**

Reasonable Figures on Conventional Heads (As per Magma General Insurance Co. Ltd. v. Nanu Ram alias Chuhru Ram & Ors. 2018 ACJ 2782 and United India Insurance Co. Ltd. Vs Satinder Kaur @ Satwinder Kaur & Ors.2020 ACJ 2131 Case)		
13	1. Loss of estate	15,000.00
14	2. Loss of consortium **(40,000 x 2)**	80,000
`815	3. Loss of funeral	15,000.00
16	Total (Loss of Dependency + Conventional Heads)	**8,93,900**
17	Round off Total	**8,93,900/-**

54. उक्त सारणी के अनुसार मृतक तुलसीराम के आश्रित/याचिकाकर्तागण क्लेम राशि **8,93,900/– (अक्षरे आठ लाख तरानवे हजार नौ सौ रूपये मात्र)** प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

<u>अनुतोष :–</u>

55. अतः उपरोक्त विवेचन अनुरूप वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन ट्रक संख्या आर.जे.–07–जीए–8615 का वाहन स्वामी मुरारीलाल विपक्षी संख्या–1 एवं विपक्षी संख्या–2 यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी के यहां असीमित दायित्व के लिए बीमित था। दुर्घटना के समय मृतक किस्तूराराम चालक द्वारा विपक्षी संख्या–1 वाहन स्वामी के हितार्थ, लाभार्थ, नियोजन में निर्देशानुसार कार्यरत था। याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात बीमा प्रदर्श–12 का अवलोकन किया जावें तो वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन दुर्घटना दिवस को विपक्षी संख्या–2 के यहां बीमित था। इस कारण विपक्षी संख्या–2 से याचिकाकर्तागण को क्षतिपूर्ति प्रतिकर स्वरूप संयुक्त रूप से एवं पृथकतः **8,93,900/– (अक्षरे आठ लाख तरानवे हजार नौ सौ रूपये मात्र)** की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है और इसी अनुरूप उपरोक्त याचिका आंशिक रूप से याचिकाकर्तागण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

56. याचिकाकर्तागण ने क्षतिपूर्ति राशि 12 प्रतिशत ब्याज की दर से दिलाये जाने का निवेदन किया है। इस संबंध में **पुट्टमा बनाम के.एल.नारायण रेड्डी A.I.R. 2014 (S.C.) 165 धर्मपाल व अन्य बनाम यू.पी.स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कोरपोरेशन A.I.R. 2008 (S.C.) 2312** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार

राष्ट्रीयकृत बैंक की ब्याज दर के अनुसार ही दिलवाया जाना निर्धारित किया गया है। इस प्रकार इस अधिकरण के विनम्र मत में याचिकाकर्तागण श्रीमती नीरू कंवर व अन्य विपक्षी संख्या–3 वाहन की बीमा कंपनी यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स से संयुक्त रूप से एवं पृथकतः **8,93,900/– (अक्षरे आठ लाख तरानवे हजार नौ सौ मात्र)** याचिका पेश करने की दिनांक **19–07–2017** से भुगतान की दि सभी कर्मचारीगण को सूचित किया जाता है उक्त पत्र की पालना किया जाना सुनिश्चित करेंण्ण्ण 23.03.2026 से नजारत शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी सर्विस डिटेल्स अपडेट करवाने का कष्ट करेंण्ण्ण सर्विस डिटेल्स में आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेंण्ण्ण

57. नांक तक **5.50** प्रतिशत साधारण ब्याज की दर दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: पंचाट ::–

58. परिणामतः याचिकाकर्तागण श्रीमती सीतादेवी व अन्य की याचिका आंशिक रूप से विपक्षीगण के विरूद्ध संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से स्वीकार की जाकर यह अंतिम पंचाट इस प्रकार से पारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता श्रीमती सीतादेवी व अन्य, विपक्षी संख्या–1 व 2 से संयुक्त रूप से एवं पृथकतः **8,93,900/– (अक्षरे आठ लाख तरानवे हजार नौ सौ रूपये मात्र)** याचिका पेश करने की दिनांक 19–07–2017 से भुगतान की दिनांक तक **5.50** प्रतिशत साधारण ब्याज की दर सहित प्रतिकर स्वरूपः प्राप्त करने के अधिकारी है।
59. याचिकाकर्तागण को यदि धारा 140 मोटर वाहन अधिनियम के तहत अंतरिम प्रतिकर के रूप में राशि का भुगतान किया गया है तो उक्त राशि अंतिम पंचाट की राशि में समायोजित होगी।
60. क्लेम याचिका का निर्धारण करते हुए विपक्षी संख्या–2 को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकर राशि **8,93,900/– (अक्षरे आठ लाख तरानवे हजार नौ**

सौ मात्र) मय ब्याज मोटरयान अधिनियम की धारा 168(3) के अनुसार एक माह में निम्नानुसार याचिकाकर्तागण के बचत खातों में अदा करेः–

क्र. सं.	वादी का नाम	बैंक का नाम एवं खाता संख्या	IFSC Code	राशि प्रतिशत/रूपये में
1	श्रीमती सीता देवी	PUNB-1745101700021988	**PUNB0174510**	**70 %**
2	सुश्री आरती	PUNB-1745101700021997	**PUNB0174510**	**30 %**

61. बैंक में उक्त राशियॉ जमा होने के पश्चात् न्यायालय द्वारा जमा राशियों के नकद भुगतान/सावधि जमा योजना के तहत जमा किए जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किए जाने के पश्चात् ही याचिकाकर्तागण न्यायालय के आदेशानुसार राशि प्राप्त करेंगे। इस न्यायालय के आदेश के बिना सम्बंधित बैंक, याचिकाकर्तागण को किसी भी राशि का भुगतान नहीं करेगा। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

(सुन्दर लाल खारोल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
कुचामन सिटी जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0)

62. अधिनिर्णय आज दिनांक 17–03–2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(सुन्दर लाल खारोल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
कुचामन सिटी जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0)